न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 13/2021

अपील का सार इसप्रकार है कि तहसील खाजूवाला के चक 16 बीडी के मु0नं0 114/47 के किला नं0 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा भूमि अपीलांट लालचंद की नानी किशनी/ईशरराम के नाम दर्ज थी। किशनी की मृत्यु के बाद इंतकाल सं0 234 दिनांक 05.11.19 (पंचायत 20 बीडी) के जरिये वारिसान के नाम दर्ज हो गई। अपीलांट ने पेश किया है कि किशनी ने 30.01.2006 को वसीयत के जरिये उक्त मु0नं0 114/47 की 7 बीघा भूमि (किला नं0 1 ता 7) अपीलांट के नाम कर दी थी। इसलिए यह 7 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की जाये।

पत्रावली का अध्ययन किया गया । जमाबंदी संवत् 2074–77 का अवलोकन किया गया। इसके मुताबिक उक्त रकबा गैरखातेदारी के तौर पर दर्ज है। यह स्थापित विधि है कि गैर खातेदार द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इसलिए किशनी द्वारा सन् 2006 में लिखी गई अपंजीकृत वसीयत शूरू से ही शून्य है।

इसलिए इंतकाल सं0 234 के खिलाफ अपील पेश करने का कोई आधार नहीं है। लिहाजा यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.16 15:46:38 IST
Reason: SelfAttested